आवेदक वादी ने खसरा होम
आईडी पर नया Pass बनवाने
आदि नहीं चलाने की प्रार्थना की।
अतः आवेदक वादी की प्रार्थना पर
पत्रावली नया Pass के खारिज की
जाती है। पत्रावली रेकर्ड अनुसार
होम नम्बर से मकान की दाखिल
दफ्तर की लिंक खुले न होने
से सुनवाई नहीं

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (टोंक)